>

Title: Need to make Hindi and the Regional language as the working languages in High Courts and Supreme Court as per clause 1 of article 348 of the Constitution of India.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्यकाल के दौरान अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। देश में भारतीय संविधान को लागू हुए साठ साल से ऊपर हो गये हैं, परंतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो सपने संजोये थे, वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था की थी कि 14 साल के अंदर धीरे-धीरे हमें अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को कामकाज की भाषा बनानी होगी। परंतु आज अंग्रेजी कम होने की बजाय और ज्यादा हो गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद सी-48 की धारा-1 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अंग्रेजी के स्थान पर अन्य प्रादेशिक भाषा का उपबंध न करे, तब तक अंग्रेजी उच्च न्यायालय में लागू रहेगी, परंतु सरकार ने अब तक इस अनुच्छेद का पालन नहीं किया है। यह बड़े अफसोस की बात है कि कई ऐसे राज्य हैं, जहां उच्च न्यायालय में प्रादेशिक भाषा को कामकाज की भाषा नहीं बनाया गया है। अंग्रेजी में न्यायालय में जो काम किया जाता है, उसे साधारण जनता समझ नहीं पाती है। जहां पर जिस भाषा में पचास प्रतिशत से अधिक लोग हैं, उस राज्य के उच्च न्यायालय में उसी प्रादेशिक भाषा को कामकाज की भाषा बनाया जाए।

महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने और एक सूत्र में बांधने की भाषा हिंदी है। मगर इस पर भी केन्द्र सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। यहां तक कि अपने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री भी इंग्लिश में भाषण देते हैं। यह बहुत ही दुख की बात है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत के संविधान का सम्मान करते हुए और मैजोरिटी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 348 की धारा-1 के अनुसार उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में हिंदी एवं प्रादेशिक भाषा को कामकाज की भाषा बनाने का तत्काल प्रावधान किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिंद, जय भारत।